


20/5/24

कौजली बनाम गहोश

उ.सं. 09/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी भी अनुपस्थित। प्रकरण में वकील वादी/प्रार्थी को विधिवतरूप से रूक रूक कर तीन बार आवाजे लगवाई गई, लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी/प्रार्थी पूर्व में भी अनुपस्थित रहा। वकील वादी व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावे। पत्रावली दफतर दाखिल की जावे।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़